

23/12

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान  
नाम आगे के लाखनी में रखे जाने  
योग्य पायी जाने पर कैंप स्थल अटल  
सेवा केंद्र लाखनी में पेश की दिनांक 02.05.18.

04/18 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत उपस्थित: नया  
आपकी द्वाारा - 2018 के तहत कैंप स्थल अटल सेवा  
केंद्र लाखनी में पेश हुई। वकील बादीगण ने  
दखिर होकर उत्तिवादी सं. 11, 13 व 14 के विरुद्ध  
दावा निरा फरमाये जाने हेतु ज. पत्र पेश किया।  
ज. पत्र में अंकित किया कि उत्तिवादी सं. 11, 13 व 14  
के विरुद्ध कोई अनुरोध नहीं चाहते हैं अतः उत्तिवादी  
सं. 11, 13 व 14 के विरुद्ध दावा निरा की अनुमति  
उदान करें। वकील बादीगण को ज. पत्र स्वीकार  
कर उत्तिवादी सं. 11, 13 व 14 के विरुद्ध दावा निरा  
की अनुमति प्राप्त की जाती है।

बल्लुलथ उमथपद्र ने मुताबिल पेशशुदा  
राजीनामा के अनुसार दावा उकी फरमाये जाते ल  
निवेदन किया। बल्लुलथ उमथपद्र के निवेदन पर  
उत्तिवादी सं. 15 भूषिघाती तहसीलदार खण्डेला ने कोई  
आपत्ति जाहीर नहीं की।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रोलर्स स्व  
पेशशुदा राजीनामा का अवलोकन किया। जिनके  
अवलोकन से स्व लोक अदालत की लावना से  
वादीगण का वाद स्वीकार किया जाते योग्य पाया  
जाते पर स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा इस  
आशय की जाती की जाती है कि:-

आदेश


तन ग्राम चारणकावास रुफ गंगा बिशन का नाम  
प. नं. 6 लाखनी तह. खण्डेला जिला लीकर राज. में अनस्थित




42  
हस्ताक्षर  
कार्य/18/10

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज



कृषि भूमि ख. नं. 33 ता 39, 41 ता 48, 52, 70 ता 74  
एकवा 9.77 हे. में वारीगण 1 ता 4 को हिस्सा  $\frac{1}{6}$  ,  
वारीगण से. 5 ता 7 को हिस्सा  $\frac{1}{6}$  , वादी से. 8 को  
हिस्सा  $\frac{1}{6}$  , प्रतिवादी से. 1 ता 3 को हिस्सा  $\frac{1}{6}$  , वादी  
से. 9, 10 ~~से. 4, 5, 6, 7~~ ~~को हिस्सा  $\frac{1}{6}$~~   
~~को हिस्सा  $\frac{1}{6}$~~  ~~को हिस्सा  $\frac{1}{6}$~~  तथा  
प्रतिवादी से. 11 ता 14 को हिस्सा  $\frac{4}{45}$  का छातेदार  
काश्तगार घोषित किया जाकर <sup>उक्त अंश</sup> प्रतिवादी से. 4 ता  
10 का नाम हजफ किया जात है। उक्तानुसार राजस्व  
रेकोर्ड में अमल दायर है। तदनुसार पर्चा डिक्री  
जाती है। पत्रावली फेल्ल शुमा छेकर नम्बर से कय  
है तथा बाद तन्मील दाखिल करत है। निर्णय  
मजमें आम सुनाया गया।

  
माधेन्द्र शाख  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
फास्ट ट्रेक अप्पेल

मूल चाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), खण्डेला, (सीकर)  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक मुकाम खण्डेला  
पीठासीन अधिकारी - श्री भागीरथ शास्त्री, R.A.S

व्यवहारीक नाम 1. भागीरथ \* वनाम 2. शिवपाल \*

द्वारा बाबत चौखण्डा व दुबली रिकार्ड

मुकदमा नम्बर :- 51/2017

निर्णय दिनांक :- 02/05/18

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शास्त्री, R.A.S व हाजिरी मिनजानिब मुददई रुबरु श्री रामेश्वर तेलवाल

मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

उक्त ग्राम चौखण्डा व दुबली रिकार्ड में जवाबित कृषि भूमि ख.सं. 33 ता 39, 41 ता 48, 52, 70 ता 74 हिस्सा 1/6 में नदीगण 1 ता 4 को हिस्सा 1/6, बाड़ीगण सं. 5 ता 7 को हिस्सा 1/6, बाड़ी सं. 8 को हिस्सा 1/6, उतिवारी सं. 1 ता 3 को हिस्सा 1/6, बाड़ीगण सं. 9, 10 को हिस्सा 1/45 तम्प उतिवारी सं. 11 ता 14 को हिस्सा 1/45 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता उक्त भूमि व उतिवारी सं. 4 ता 5 का नाम हजफ किया जात है। उक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दामक है।

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

ह आज दिनांक 02/05/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(भागीरथ शास्त्री)  
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)  
खण्डेला (सीकर)  
(फास्ट ट्रैक) खण्डेला

द के खर्चे

| वादी                          |       | प्रतिवादी                     |       |
|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|                               | रुपया |                               | रुपया |
| वाद पत्र के लिए स्टाम्प       |       | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       |
| शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प     |       | अर्जी के लिए स्टाम्प          |       |
| प्रदर्शों के लिए स्टाम्प      |       | प्लीडर की फीस                 |       |
| ..... रुपये पर प्लीडर की      |       | साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       |
| फीस                           |       | आदेशिका की तामील              |       |
| साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय |       | कमिश्नर की फीस                |       |
| कमिश्नर की फीस                |       |                               |       |
| आदेशिका की तामील              |       |                               |       |
| जोड़                          |       | जोड़                          |       |

- ※ ② रामेश्वर ③ बबूलाल ④ जैसांराम पुत्रगण रामेश्वर  
 ⑤ जगदीश ⑥ गौपाल पुत्रगण मांगूरम  
 ⑦ दाखली पत्नी मांगूरम ⑧ मंगला पुत्र मांगूर  
 ⑨ नारायण ⑩ हणमान पुत्रगण पीवा

समस्त जाति जाट निवासी चारणकाबास उर्फ गंगाविशन्काबास  
 तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)



— वादीगण

बनाम

- ※ ① सुल्तान पुत्रगण गौविन्दा  
 ② बिट्टी पत्नी गौविन्दा ③ पतासी पुत्री पीवा  
 ④ मदनलाल ⑤ गणेश ⑥ धूलत पुत्रगण स्व. मूली पुत्री पीवा  
 ⑦ कमला ⑧ ज्यानकी ⑨ ब्रवणी पुत्रीयां स्व. मूली पुत्री पीवा  
 ⑩ मौहनी देवी पत्नी भगवाना  
 ⑪ बनवारीलाल ⑫ सुवालाल पुत्रगण भगवाना  
 ⑬ सन्तटा पुत्री भगवाना

समस्त जाति जाट निवासी चारणकाबास उर्फ गंगाविशन्काबास  
 तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज.)

- ⑭ भूमिधारी तहसीलयात खण्डेला जिला सीकर (राज.)

— प्रतिवादीगण

*(Signature)*  
 वादीरथ शाह  
 (RAS)  
 जिलाधिकारी कलेक्टर  
 खण्डेला (सीकर)